

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की अद्यतन स्थिति माह 08/2017

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुल लंबित वाद	41	5119	697	499	1730	8086	498
2	प्रतिशपथपत्र दाखिल	38	4914	679	493	1690	7814	487
3	कुल अवशेष वाद	3	205	18	6	40	272	11
4	आवश्यकता नहीं	3	84	2	1	11	101	0
5	अवशेष वाद	0	121	16	5	29	171	11

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 08/2017

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा0सर्वोच्च न्यायालय				मा0उच्च न्यायालय				मा0 लोक सेवा अधिकारण				मा0 श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ० न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	-	-	-	-	20	20	-	-	40	39	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	18	17	1	-	4	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु० एवं नियो०	-	-	-	-	4	4	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
4	मु०अ०, अनु० एवं सम०वा०सहा०	-	-	-	-	20	20	-	-	8	8	-	-	1	1	-	-	6	6	-	-
5	मु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन	-	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	3	3	-	-	285	278	7	-	45	44	1	-	107	104	3	-	130	130	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	5	4	-	1	854	793	22	39	95	94	-	1	28	27	1	-	349	346	1	2
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	3	1	-	2	172	170	2	-	18	18	-	-	34	34	-	-	49	42	0	7
9	मु०अ०, सरयू-1, फ़ैजाबाद	-	-	-	-	197	166	6	25	40	40	-	-	13	12	-	1	98	95	2	1
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	3	3	-	-	94	84	2	8	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झॉंसी	1	1	-	-	133	129	4	-	18	17	1	-	29	29	-	-	43	43	0	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	22	21	1	-	3	3	-	-	4	4	-	-	0	0	0	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	3	3	-	-	190	185	1	4	44	40	4	-	44	44	-	-	162	150	12	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	175	165	9	1	34	32	2	-	15	15	-	-	16	14	1	1
15	मु०अ०, बाणसागर, इलाहाबाद	1	1	-	-	49	46	2	1	4	4	-	-	3	3	-	-	16	14	2	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	6	6	-	-	350	337	9	4	52	51	1	-	17	17	-	-	345	345	0	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	2	2	-	-	102	102	-	-	28	28	-	-	7	7	-	-	75	75	-	-
18	मु०अ०, बेतवा, झॉंसी	1	1	-	-	135	133	2	-	21	21	-	-	32	32	-	-	42	33	9	-
19	मु०अ०, गंगा, मेरठ	3	3	-	-	212	207	5	-	21	19	2	-	14	14	-	-	193	193	0	-
20	मु०अ०, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	21	20	1	-	3	3	-	-	1	1	-	-	3	3	0	-

21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	464	449	15	-	57	57	-	-	30	30	-	-	30	29	1	-
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	3	3	-	-	267	261	6	-	44	44	-	-	27	27	-	-	29	29	0	-
23	मु0अ0, नलकूप, वराणसी	2	2	-	-	467	457	10	-	38	37	1	-	31	31	-	-	72	72	0	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	5	5	-	-	774	758	16	-	63	60	2	1	26	26	-	-	59	59	0	-
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	-	-	-	-	86	86	-	-	10	10	-	-	35	34	1	-	11	10	1	-
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	6	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	41	38	0	3	5119	4914	121	84	697	679	16	2	499	493	5	1	1730	1690	29	11

कुल लम्बित वाद- 8086

प्रतिशपथपत्र दाखिल- 7814

अवशेष- 171

आवश्यकता नहीं- 101

20	मु0अ0, कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु0अ0, नलकूल मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	46	46	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	19	19	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	मु0अ0, नलकूप, वारणसी	-	-	-	-	33	33	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	1	1	-	-	33	33	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	-	-	-	-	11	11	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी,ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1	1	0	0	390	385	5	0	98	92	6	0	0	0	0	0	9	9	0	0

कुल लम्बित वाद- 498

प्रतिशपथपत्र
दाखिल- 487

अवशेष- 11

आवश्यकता नहीं- 0

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालय वार अवमाननावादों का विवरण जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है। माह 08/2017

क्रमांक	संगठन का नाम	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6
1-	मुख्य अभियन्ता(शारदा), बरेली	2	1	0	3
2-	मुख्य अभियन्ता(सोन), वाराणसी	1	1	0	2
3-	मुख्य अभियन्ता(शा0सहा0), लखनऊ	1	1	0	2
4-	मुख्य अभियन्ता(नलकूप), वाराणसी	0	1	0	1
5-	मुख्य अभियन्ता (सरयू-द्वितीय), गोण्डा	0	1	0	1
6-	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर), इलाहाबाद	0	1	0	1
7-	मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), झांसी	1	0	0	1
	योग	5	6	0	11

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अन्तिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 08/2017

क्र० सं०	संगठन का नाम	कुल लम्बित वाद	वादों की संख्या जिनका अनुपालन कर दिया गया है	वादों की संख्या जिनका अनुपालन कर प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर दिया गया है।	वादों की संख्या जिनका अनुपालन नहीं किया गया है।	वादों जिनमें अनुपालन शेष है					वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
						जिनमें रिव्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है	जिनमें एस०एल० पी० दायर है	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित है।			
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	49	2	56	-	-	-	-	1	-	-	-
2	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मु०अ०, अनु०एवं नियो०	2	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, अनु०एवं सम०वा०सहा०	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5	मु०अ०, अनु०एवं मूल्यांकन	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	53	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मु०अ०, शारदा सहा०, लखनऊ	178	177	177	1	-	-	-	-	1	-	-
8	मु०अ० मध्यगंगा, अलीगढ़	27	27	16	11	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, सरयू-1, फैजाबाद	45	11	35	9	5	-	-	-	2	-	-
10	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु०अ०, परि०बेतवा, झाँसी	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, जलसंसाधन, लखनऊ	23	22	12	1	-	-	-	1	-	-	-
13	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	19	19	4	15	-	-	-	-	-	-	-
14	मु०अ०, शारदा, बरेली	121	81	80	33	-	-	-	-	-	-	-
15	मु०अ०, बाणसागर,, इलाहाबाद	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, सोन, वाराणसी	76	55	54	21	3	-	-	-	-	-	-
17	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	15	6	13	1	2	-	-	-	-	-	-
18	मु०अ०, बेतवा, झाँसी	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मु०अ०, गंगा, मेरठ	77	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मु०अ०, कनहर, मिर्जापुर	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, नलकूल मध्य, लखनऊ	265	248	200	48	50	2	-	1	1	-	-
22	मु०अ०, नलकूप पश्चिम, मेरठ	27	27	17	10	-	-	-	-	-	-	-

23	मु0अ0, नलकूप, वारणसी	258	258	240	18	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, नलकूप पूर्व, फैजाबाद	342	316	297	32	41	2	-	-	-	1	-
25	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री	61	61	22	39	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
27	नि0उ0प्र0जलएवं भू0प्र0सं0लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0 राज्य अभियंत्रण अकादमी,ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	1666	1467	1375	243	103	6	0	3	4	1	0

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशासी अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

मुख्य अभियन्ता
(परिवाद)

अधीक्षण अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 08/2017 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्र० सं०	मण्डल/खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम व पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ- पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली मा० उच्च न्यायालय।								
1	सिंचाई खण्ड-प्रथम, लखीमपुर-खीरी।	2124/सी/15	श्री साजिश खाँ बेलदार	श्री कुलजीत सिंह, मु०अ० शारदा, लखनऊ	-	रि०या०सं०-2198/एस०एस०/15 में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.05.15 को दिये गये आदेश का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अवमानना वाद दायर किया गया है।	-	प्रश्नगत अवमाननावाद में अधि०अभि० द्वारा अवमाननावाद नोटिस का नरैटिव संक्षिप्त इतिहास तैयार कर मुख्य स्थाई अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में प्रस्तुत कर प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है।
2	लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ	1548/सी/16	श्री शेरसिंह कम्बोज	श्री सी०के० वर्मा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई	4173/एस०बी०/16	प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाय।		अनुपालन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली मा० लोक सेवा अधिकरण।								
1	सिंचाई खण्ड बरेली	86/2017	भीम सेन शर्मा	श्री सुरेश चन्द्रा प्रमुख सचिव सिंचाई व श्री अमर पाल सिंह, वित्त नियंत्रक।	1307/15	देयकों का भुगतान मूल वेतन रू० 11850.00 के आधार पर किया जाय।	-	वांछित अनुमति शासन से प्राप्त हो गई है।
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ मा० उच्च न्यायालय।								
1	वा०प्र०शा०न०, बाराबंकी	1090/सी/2014	दुर्गेश	श्री सुप्रभात सिंह, अधि० अभि०	2419/एस०एस०/12,	मा० उच्च न्यायालय के निर्णय दि० 28.07.2014 का अनुपालना करने के संबंध में।	-	मा० न्यायालय के निर्णय के समादर में कार्यवाही की जा रही है।
मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ मा० लोक सेवा अधिकरण।								
1	वा०प्र०शा०न०, बाराबंकी	493/2014	अरुण कुमार	श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव	209/2013	पुरानी अवधि से अ०अ० के पद के समस्त देयकों के भुगतान के संबंध में।	-	मा० न्यायालय में सुनवायी हेतु विचाराधीन।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य अभियन्ता (सोन), वाराणसी मा० उच्च न्यायालय।								

1	मूसा खण्ड बांध, प्रखण्ड, वाराणसी	2291/2013	बहादुर लाल	जे०एन० सिंह, मुख्य अभियन्ता	52279/11	प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने हेतु आदेश पारित हुआ है।	-	प्रतिवादी संख्या 01 तत्कालीन मु०अ० सोन सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने मा० न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वह सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतः वादी द्वारा नया प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किये जाने पर अवमाननावाद में शपथ पत्र दाखिल किया जा सकेगा अथवा अवमाननावाद मा० न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर नई पार्टी जोड़ने के लिए आदेश जारी करने पर ही अगले प्रतिवादी के नियुक्ति होने पर प्रतिवादी द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जा सकेगा। उक्त में पैरोकार अधिशासी अभियन्ता मूसा खण्ड बांध प्रखण्ड वाराणसी है। पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी अपेक्षित है।
2	मुख्य अभियन्ता (सोन), वाराणसी मा० लोकसेवा अधिकरण।							
	चन्द्र प्रभा प्रखण्ड मुगलसराय, चंदौली	68/2016	चन्द्रशेखर कुमार मंगलम	दीपक सिंघल प्रमुख सचिव व अन्य	176/2014	दण्डादेश के सम्बन्ध में।	-	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-9134/2016 का निस्तारण कर दिया गया है फलस्वरूप मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 24.02.2015 के Compliance report दाखिल करने हेतु नियति तिथि 11.08.2017 है।
मुख्य अभियन्ता (नलकूप), वाराणसी, मा० लोक सेवा अधिकरण।								
1	534/2016 सच्चिदा नन्द त्रिपाठी प्रतिवादी, श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य	वादी सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता द्वारा सेवानिवृत्त देयकों के विलम्ब से भुगतान के संबंध में।	वादी सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता निर्देश या० सं० 1070/2006 में मा० अधिकरण द्वारा दि० 28.04.2016 को अन्तिमरूप से निस्तारित कर दिया गया अपने निस्तारण द्वारा ब्याज की धनराशि पर 12 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत ब्याज दिये जाने के निर्देश हैं।	वादी द्वारा निवृत्त याचिका सं० 1070/2006 में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा यह अवमाननावाद योजित किया गया है।	-	नलकूप खण्ड, मिर्जापुर।	मा० अधिकरण के आदेश दि० 28.04.2015 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दि० 20.02.2017 को याचिका दाखिल है।	प्रतिशपथपत्र दाखिल करने प्रतिवाद की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, मिर्जापुर के पत्रांक 4031/दि० 04.03.17 द्वारा शासन को संदर्भित है तथा अवमाननावाद में मा० अधिकरण से समय देने हेतु अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 4061 दिनांक 16.03.17 द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को पत्र भेजा गया है।
मुख्य अभियन्ता (सरयू परि०-द्वितीय), गोण्डा मा० लोक सेवा अधिकरण।								
1	मु०अ०स०प०-2/स०न०ख०-5 गोण्डा	45/2017	राजवन्त शर्मा	श्री सुरेश चन्द्र प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ एवं वी०के०सिंह मुख्य अभियन्ता गोण्डा	7/2016	मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 02.08.2016 द्वारा विध्वंसन को आदेश निर्गत किया गया कि याची को सेवा सम्बन्धी समस्त सेवानिवृत्तक लाभ तथा उन्नत कार्यालय ज्ञाप 08.05.2015 के आदेशानुसार याची की पेंशन से काटी गयी 5 प्रतिशत की कटौती की धनराशि याची को प्रदान करें।	-	भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मुख्य अभियन्ता (बाण सागर) इलाहाबाद मा० लोक सेवा अधिकरण।								
1	बासाननिख-4 मीर्जापुर	134/2017	श्री मती कैसर बानो पत्नी स्व० मो० सफातुल्लाह बनाम	श्री सुरेश चन्द्र, प्रमुख सचिव सिंचाई, डा० अमर सिंह, वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई श्री अरुणेश साहू अधि०	2017/2010	मा० लोक सेवा अधिकरण के आदेश में विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.06.2003 व सामूहिक बीमा योजनाओं द्वारा जारी पेंशन/उपादान पेंशन के राशिकरण	-	प्रश्नगत वाद में याची के पक्ष में मा० लोकसेवा अधिकरण द्वारा निर्णय पारित किया गया है जिसके स्थगन के लिए विभाग मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 29.5.17 को रिट दाखिल कर दिया गया है, जिसमें दिनांक 4.7.17 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया

				अभि० बा०सा०ग०न०नि० खण्ड-4 मीरजापुर।		पारिवारिक पेंशन के भुगतान का अग्रसरण पत्र 29.07.2003 को निरस्त करते हुए श्री सफातुल्लाह की सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.1999 को उनके द्वारा वेतन के आधार पर उनकी पेंशनरी लाभ का निर्धारण करते हुये देय एरियर के धनराशि का भुगतान 4 माह के अन्दर दिये जाने का आदेश दिनांक 11.08.2016 का निर्गत किया गया। -		गया है। अवमाननावाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु एफीडेविट मुख्य सचिव को हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया है।	
मुख्य अभियन्ता परियोजना/बेतवा झांसी मा० उच्च न्यायालय									
1	मौ०बा०नि०ख०-1 महोबा	4183/2016	मुहम्मद याकूब	श्री० पी०डी०वर्मा प्रमुख अभियन्ता	46682/2015	रिट याचिका सं० 46682/2015 मुहम्मद याकूब बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन स्वीकृति करने हेतु दायर की गयी है जिसको मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारण करते हुये दिनांक 12.08.2015 को आदेश पारित किया गया।	-	प्रकरण पर प्रतिशपथ पत्र तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता श्री पी०डी०वर्मा प्रमुख अभियन्ता द्वारा दाखिल न किये जाने के कारण प्रकरण वर्तमान में लम्बित है जिसकी अगामी तिथि 15.12.2017 है।	

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशासी अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

अधीक्षण अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0, शासन

क्र0 स0	माह जनवरी 2012 से माह अगस्त-2017 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह अगस्त- 2017 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादो की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1114	927	2041	1041	813	1854	56	54	110	07वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 70 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 7+70=77

अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय विभाग)

मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

विभाग का नाम:- सिंचाई अनुभाग-08 सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
शासन

क्र० सं०		माह जनवरी 2012 से माह अगस्त 2017 तक उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह अगस्त 2017 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष हैं।			अभ्युक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
मुख्य अभियन्ता स्तर-2											
1	अग्रिम नियोजन, लखनऊ	1	7	8	0	6	6	1	1	2	-
2	परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	रिट याचिका संख्या
3	अनुश्रवण एवं समन्वय, वाह0 सहा0	3	6	9	3	6	9	0	0	0	
4	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	गण्डक, गोरखपुर	21	2	23	18	2	20	3	0	3	-
6	गंगा, मेरठ	7	0	7	2	0	2	5	0	5	-
7	मध्य गंगा अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	-
8	सरयू-प्रथम, फैजाबाद	3	137	140	3	108	111	0	6	6	01 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 18 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 01 वाद की रिट अभी उपलब्ध नहीं है 01 वाद नेट से डिस्पोज अन्तिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। कुल 01+18+2+1+1=23
9	सरयू-द्वितीय, गोण्डा	13	28	41	13	28	41	0	0	0	-

10	पूर्वी गंगा मुरादाबाद	67	11	78	59	10	69	1	1	2	1-मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 01 वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में 01 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
11	परियोजना बेतवा, झांसी	76	14	90	71	14	85	5	0	5	जनवरी-2012 से जुलाई-2017तक मा0 उच्च न्यायालय में 05 वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही मंडल/खण्ड द्वारा की जा रही है।
12	बेतवा, झांसी	36	7	43	34	7	41	2	0	2	-
13	रामगंगा कानपुर।	169	22	191	162	22	184	1	0	1	प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वादी के स्थानांतरण/ निरस्तीकरण के आदेश को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या:- 10838/अधि0-4/दिनांक 03.01.2017 द्वारा निरस्त किये जाने के कारण रिट याचिका का केस आफ ऐक्शन समाप्त हो गया है। एक रिय याचिकाये उ0प्र0शासन की ओर से दाखिल की गयी है जिनमें प्रतिशपथ पत्र विपक्षी दलों को दाखिल करना है, विभाग को नहीं। (एक स्टेट अपील)। एक रिट याचिका पर मा0 न्यायालय में विना डब्लू0एस0 मार्गें विपक्षीगणों को दाखिल कराना है। यह याचिका विभाग के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है। तीन वादों में याचिका विभाग की ओर से प्रस्तुत की गयी है इस लिये विभाग की ओर से प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करना है।।
14	बाणसागर, इलाहाबाद	20	3	23	18	3	21	2	0	2	-
15	सोन वाराणसी	122	11	133	114	10	124	8	1	9	प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
16	अनुसंधान एवं नियोजन	0	4	4	0	4	4	0	0	0	-
17	शारदा बरेली	32	109	141	31	99	130	1	9	10	रिट याचिका संख्या 78/एसएस/2017 राम कृपाल दीक्षित बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2017 को आदेश दिये गये हैं कि "याची द्वारा उपरोक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.17 को प्रस्तुत किया गया है। अधि0 अभि0 सि0ख0प्रथम लखीमपुर द्वारा प्रेषित प्रकरण पर मुख्य अभियन्ता शारदा द्वारा आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, अतः प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ में -1)
18	शारदा सहायक, लखनऊ	42	170	212	34	117	151	4	18	22	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 04 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 35वाद जिनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ में 35 एवं इलाहाबाद में 04=39)
19	नलकूप मध्य, लखनऊ	54	133	187	48	124	172	6	9	15	-
20	नलकूप पश्चिम, मेरठ	95	55	150	92	52	144	3	3	6	-
21	नलकूप, वाराणसी	132	11	143	120	11	131	12	0	12	-
22	नलकूप, पूर्व फैजाबाद	28	141	169	27	136	163	1	5	6	-

23	सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	19	14	33	19	14	33	0	0	0	-
24	आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	2	2	0	1	1	0	0	0	माह 01/2012 से माह 07/2017 तक मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों की कुल संख्या 02 है जिसमें 01 वाद रिट याचिका संख्या-3650/एस0एस0/2012 श्रीमती प्रतिभा, कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा दाखिल किया गया था, में शपथ पत्र दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 07.08.2014 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। आदेशों की अनुपालना शासन के सिंचाई अनुभाग-1 द्वारा की जानी है। शपथ पत्र दाखिल की सूचना दी गयी है। इसके अतिरिक्त 01 वाद विभाग की ओर से रिट याचिका संख्या-17118/एस0बी0/2016 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री एम0पी0 सक्सेना व अन्य दाखिल किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा इस रिट याचिका में दिनांक 03.02.2017 को निर्णय पारित कर समाप्त कर दिया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कर दिया गया है। चूंकि यह वाद विभाग की ओर से दाखिल किया गया है, अतः शपथ पत्र दाखिल करने की सूचना नहीं दी गयी है।
25	राज्य अभियंत्रण एकादमी, ओखला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
26	निदेशक जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	-
27	जल संसाधन लखनऊ	1	2	3	1	2	3	0	0	0	-
28	पैक्ट लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
29	कनहर, मिर्जापुर	10	1	11	9	1	10	1	0	1	-
30	स्वारा लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	योग	1114	927	2041	1041	813	1854	56	54	110	07वाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 70 वाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में निस्तारित हो जाने के कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 7+70= 77

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशाली
अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

मुख्य अभियन्ता
(परिवाद)

अधीक्षण अभियन्ता
(विधि प्रकोष्ठ)

